न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 156/2020

GCMS No. : 2020/00299

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र जुगराज मेवाड़ा
तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू – : 24.11.2020

उपस्थित:– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री किशोरकुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 31/03/2021

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 48/40 कुल रकबा 03–02 बीघा, मौजा जैतारण** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर कृषि जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है, जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक** 16.03.2019 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **आवासीय कॉलोनी (भू–खण्ड)** का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वाद[illegible] खुर्द बुर्द [illegible]। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब [illegible] किया, जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 का जवाब है [illegible] इस पद में वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की आराजी आवश्यक आई हुई है जिसके जवाब देहन्दा प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र पद संख्या 02 का जवाब है कि जवाब देहन्दा प्रतिवादी द्वारा वादपत्र में वर्णित आराजी को कृषि भूमि के रूप में ही काम में लेता आ रहा है तथा

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested

ब देहन्दा प्रतिवादी द्वारा आज दिन तक कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग उपभोग नहीं ले रहा है तथा जमीन को किसी प्रकार से खूर्द बुर्द नहीं किया है तथा न ही तरदाता प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों एवं टीनेन्सी शर्तो को भंग नहीं किया है। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि जवाब देहन्दा प्रतिवादी ने किसी प्रकार से टीनेन्सी की शर्तो को भंग कर राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य नहीं किया है तथा उत्तरदाता प्रतिवादी की कृषि भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा किसी प्रकार से अपनी कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग उपभोग नहीं लिया है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि केवल मात्र कृषि कार्य हेतु ही उपयोग उपभोग व काम में ली जा रही है। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य केवल मात्र वादपत्र करने की गरज से झूठे व मनगढ्न्त तथा काल्पनिक तथ्य उल्लेख किये है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि वादी को उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बिनाय वाद उत्पन्न नहीं होता है बिनाय वाद के अभाव में वादी का वादपत्र कतई पोषणीय नहीं है तथा वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से आवासीय कॉलोनी का निर्माण नहीं किया जा रहा है तथा न ही मौके पर किसी प्रकार से आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है वादी ने वादपत्र आधारहीन व झूठे तथ्यों पर आधारित पेश किया है जो किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होनें से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। वादपत्र के पद संख्या 5 कानूनी है जो गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या 6 व उसके उप पद संख्या क ख में चाहा गया अनुतोष वादी उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजात् एवं मौके की स्थिति से वादी का वादपत्र कतई पोषणीय नहीं होनें से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अतः जवाब वादपत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होनें से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

हमनें भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण से वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस मंगवाई जाकर सामिल पत्रावली की गई। भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा दिनांक 18.03.2021 को वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जो सा0मि0 है। भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट मौक फर्द दिनांक 18.03.2021 के अनुसार वर्तमान में उक्त कृषि भूमि खाली पड़ी है तथा वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख के अनुसार अप्रार्थी के नाम दर्ज है। मौके पर प्लॉटिंग एवं पत्थरगढ़ी के निशानात् मिटायें हुये हैं।

अप्रार्थी खातेदार द्वारा मौके की फोटोग्राफस एवं नकल गिरदावरी पेश की, मौके के फोटोग्राफस से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा कोई संरचना निर्मित नहीं हैं। गिरदावरी सम्वत् 2077 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर क[illegible]ंकन नहीं है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय [illegible] से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्[illegible]त् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार क[illegible]हितकर कार्य नहीं किये जाने, कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृती के अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं लिये जाने बाबत् शपथ पर कथन किया है। भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रस्तुत अद्यतन् मौका रिपोर्ट तथा अप्रार्थी खातेदार द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफस् से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी है तथा किसी प्रकार की संरचना निर्मित नहीं है। प्रार्थी भू धारक यह साबित करनें में असफल रहें कि अप्रार्थी खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

किस रूप में अकृषि प्रयोजनार्थ व कृषि भूमि की उत्पादकता के लिये अहितकर कार्य र रहा है, साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(2) ऐसे प्रकरणों में काश्तकारों के प्रति उदार रवैया अपनानें का प्रावधान करती है।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादपत्र वादी बखूबी साबित नहीं होता है, अतः वादी/प्रार्थी तहसीलदार जैतारण का हस्तगस्त वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:31 IST
Reason: SelfAttested